लोक शिक्षण संचालनालय
ब्लॉक -सी इन्द्रावती भवन,
अटल नगर, रायपुर छत्तीसगढ़
ई-मेल Schoolscholarship717@gmail.com दूरभाष नं. 0771- 2511192 फैक्स 0771-24445215

क्र.छात्रवृत्ति/म.दु.यो./57-2/2025-26/ 83

प्रति
समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी,
छत्तीसगढ़

विषयः- छ.ग. महतारी दुलार योजना सत्र 2025-26 बाबत।
संदर्भः- योजना अधिसूचना क्र.289 दिनाँक 22 मई 2021 व क्र.347 दिनॉक 28 जून 2021,एवं क्र.502 दिनाँक 21 सितंबर 2021

छ.ग. महतारी दुलार योजना के अंतर्गत कोविड-19 से प्रभावित परिवारों के पात्र विद्यार्थियों को संदर्भित अधिसूचना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। वर्तमान सत्र 2025-26 के पात्र विद्यार्थियों का पोर्टल पर पंजीयन नवीनीकरण/सत्यापन हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया जाता हैः-

1. पूर्व सत्र में योजना के पात्रता प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र के साथ पंजीकृत किये गये तथा DPI स्तर पर भेजे गये विद्यार्थियों को अपग्रेड कर पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। अतः पात्रता व निवास प्रमाण-पत्र पुनः अपलोड नहीं किया जा सकेगा।
2. निजी विद्यालय में नॉन आरटीई के तहत अध्ययनरत विद्यार्थियों के विद्यालय शुल्क हेतु फीस प्रतिपूर्ति प्रमाण-पत्र पोर्टल पर दिये गये लिंक पर पूर्ण कर डाउनलोड किया जाकर पालक/संस्था प्रमुख व जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर उपरांत पुनः अपलोड करेंगे।
3. योजनांतर्गत लाभान्वित पात्र विद्यार्थियों की सूची संबंधित शासकीय/निजी शाला/विकास खण्ड कार्यालय व जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किये जाने के साथ स्थानीय समाचार पत्रों में भी छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति राशि की जानकारी के साथ प्रकाशित करावें।

उपरोक्तानुसार अनिवार्य कार्यो के साथ पोर्टल पर लिंक उपलब्ध कराते हुये निर्देशित किया जाता है कि नवीनीकरण/सत्यापन का कार्य 30.09.2025 के पूर्व पूर्ण करें।

Digitally signed by
RITURAJ RAGHUVANSHI
Date: 10.09.2025
12:23:38

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
नवा रायपुर छ.ग.

पृ.क्र.छात्रवृत्ति/म.दु.यो./2025-26/ 84 नवा रायपुर , दि:10 /09/2 25

प्रतिलिपि -

1. सचिव, छ.ग. शा. स्कूल शि.वि. मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक समस्त शिक्षा संभाग (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. श्रीमती ललिता वर्मा, वैज्ञानिक-"सी" एन.आई.सी. मंत्रालय की ओर सूचनार्थ।

संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय

निजी विद्यालय शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु प्रमाण पत्र बनाये

विद्यार्थी का स्टूडेंट आई डी (MDY000000000)

निर्देश -

1). विद्यालय शुल्क की राशि दर्ज कर क्लिक करने पर, राशि शब्दो मे स्वतः दर्ज हो जवेगी।
2). विद्यार्थी नें छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021, पात्रता की शर्ते कंडिका 5 की उप कंडिका viii (अधिसूचना क्रमांक 347 दिनांक 28 जून 2021) के तहत जून 2021 के बाद विद्यालय परिवर्तन किया है? मे हॉं या नहीं का चयन करे।
3). विद्यार्थी का पंजीयन पूर्ण करने पश्चात निजी विद्यालय शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु प्रमाण पत्र नहीं बनायी जा सकती है ।

जिला कार्यालय कोरबा

छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना – 2021

की योजनांतर्गत निजी शाला शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु प्रमाण पत्र

दिनांक: ________

क्रमांक: ________

प्रमाणित किया जाता है कि विद्यार्थी कुमार/कुमारी , लिंग (बालक/बालिका) , आत्मज पिता श्री , माता श्रीमती , जाति वर्ग (SC/ST/OBC) , कक्षा , निजी शाल UDISE , जिला में छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजनांतर्गत अध्ययनरत है।

उपरोक्त विद्यार्थी का निजी शाला शुल्क राशि रु. (अंकों में) ________

(शब्दों में) है, जो छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 486, दिनांक 9 अक्टूबर 2020 अनुसार छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2020 अंतर्गत अनुमोदित है, जिसकी प्रतिपूर्ति योजनांतर्गत संस्था/शाला को की जा सकती है।

संस्था/शाला के बैंक खाते का नाम: , बैंक का नाम: , खाता क्रमांक: , IFSC Code:

(बैंक खाता संस्था / शाला के नाम पर ही होना अनिवार्य है)

विद्यार्थी नें छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021, पात्रता की शर्ते कंडिका 5 की उप कंडिका viii (अधिसूचना क्रमांक 347 दिनांक 28 जून 2021) के तहत जून 2021 के बाद विद्यालय परिवर्तन किया है? ☐ **हाँ** ☐ **नहीं**

हस्ताक्षर अभिभावक	हस्ताक्षर व मुहर विद्यालय/संस्था प्रमुख	हस्ताक्षर व मुहर जिला शिक्षा अधिकारी
नाम: ________	नाम: ________	नाम: ________
पता: ________	पता: ________	जिला: ________
मो.न.: ________	मो.न.: ________	मो.न.: ________